

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 576/3/वीवीपीएटी/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्या./एसडीआर/खण्ड-11/2017 दिनांक: 25 जुलाई, 2017

सेवा में

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
नागालैण्ड,
कोहिमा.

विषय: राज्य विधान सभा के उप-निर्वाचन, 2017 – वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल सिस्टम (वीवीपीएटी) सहित ईवीएम का प्रयोग – तत्संबंधी।

महोदय,

आयोग के दिनांक 20 जुलाई, 2017 के पत्र सं. 576/3/ईवीएम/ईसीआई/पत्र./प्रकार्या./न्या./एसडीआर/खण्ड-11/2017 के अनुक्रम में, मुझे आयोग के दिनांक 25 जुलाई, 2017 के निदेश सं. 576/3/ वीवीपीएटी / ईसीआई / पत्र./ प्रकार्या./न्या./एसडीआर/खण्ड-11/2017 को एतद्वारा अग्रेषित करने का निदेश हुआ है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि **नागालैण्ड की 10-उत्तरी अंगामी-1 (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र**, को ऐसे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है जहां वोट के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए उक्त निर्वाचन क्षेत्र में प्रयोग की जा रही सभी मतदान मशीनों के साथ ड्रॉप बॉक्स सहित प्रिंटर संलग्न किया जाएगा। यह निदेश राज्य के शासकीय राजपत्र में तत्काल प्रकाशित किया जाए और राजपत्र की दो प्रतियां आयोग को इसकी सूचना एवं रिकार्ड के लिए अग्रेषित की जाएं।

2. उपर्युक्त अनुदेश आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारियों के ध्यान में लाए जाएं।
3. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में वीवीपीएटी के प्रयोग के बारे में लिए गए निर्णय का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।
4. कृपया पावती दें।

भवदीय,

(अभिषेक तिवारी)
अनुभाग अधिकारी

फाईल सं. 576/3/वीवीपीएटी/2017/एसडीआर/खण्ड-11

नागालैण्ड राज्य के राजपत्र
में प्रकाशनार्थ।

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001

निदेश

सं.576/3/वीवीपीएटी/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्या./एसडीआर/खण्ड-11/2017 यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क यह उपबंधित करती है कि वोटिंग मशीनों द्वारा मतों का डाला जाना और रिकार्ड करना ऐसी रीति से किया जाए जैसा कि निर्धारित किया जाए और ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में अपनाया जाए जैसा कि भारतनिर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट किया जाए; और

2. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के परन्तुक के अनुसार, ऐसे डिजाइन वाले ड्रॉप बॉक्स सहित एक प्रिंटर, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों या उसके भागों में जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, निदेश दिया जाए, मतों के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए मतदान मशीन के साथ जोड़ा जाए; और

3. यतः, भारत निर्वाचन आयोग ने दिनांक 20 जुलाई, 2017 की अपनी अधिसूचना सं.576/3/ईवीएम/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्या./एसडीआर/खण्ड-11/2017 के द्वारा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 61क के अंतर्गत नागालैण्ड में 10-उत्तरी अंगामी-1 (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को पहले ही ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट किया है जिसमें वर्तमान उप निर्वाचन के लिए किए जाने वाले मतदान में मत, मतदान मशीनों के द्वारा डाला एवं रिकॉर्ड किया जाएगा;

4. अतः, अब भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के उक्त परन्तुक के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा –

- (i) **नागालैण्ड में 10-उत्तरी अंगामी-1 (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र**, को ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करता है जिनमें वर्तमान उप निर्वाचन में मतों को डालने एवं रिकार्ड किए जाने हेतु प्रयोग में लाए जाने वाली मतदान मशीनों के साथ ड्रॉप बॉक्स सहित प्रिंटर संलग्न किया जाएगा।

फाइल सं.576/3/वीवीपीएटी/2017/एसडीआर/खण्ड-11

- (ii) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा विकसित किए गए डिजाइन के ड्रॉप बॉक्स सहित प्रिंटर को ऐसे प्रिंटर के रूप में अनुमोदित करता है जिसे उपर्युक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतों को डालने और रिकार्ड करने के लिए प्रयोग की जाने वाली उक्त मतदान मशीनों के साथ संलग्न किया जाएगा।

आदेश से,

(के.एफ. विल्फ्रेड)
वरिष्ठ प्रधान सचिव